


लैखा दिवान

कर्मचारी जगत की मुख्य मासिक पत्रिका

वर्ष : 16 अंक : 10

अक्टूबर, 2016 (14.10.2016)

मूल्य : ₹ 20 प्रति




मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे जैसलमेर में केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सुरक्षा बैठक में शामिल होते हुए

www.rajteachers.com

मुख्य आकर्षण

- आयकर सम्बन्धी जानकारी
- अराजपत्रित कार्मिकों की जन्मतिथि को ठीक करने हेतु विभागाध्यक्ष अधिकृत
- पंचायती राज कर्मिकों के वेतन भुगतान कोषालय के माध्यम से
- राज्य कर्मचारियों के लम्बित मामले 30 नवम्बर तक निस्तारित होंगे
- निवासीय वाहन सुविधा की दर 1000 रु. प्रतिमाह
- पीड़ी खातों से इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की नवीन व्यवस्था



कर निर्धारण वर्ष (Assessment year) - इसका तात्पर्य उस अवधि से है जो 1 अप्रैल से आरम्भ होती है और अगले वर्ष की 31 मार्च को समाप्त होती है। उदाहरण- आगामी कर निर्धारण वर्ष 2017-2018 जो 1 अप्रैल 2017 से प्रारम्भ होगा तथा दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त होगा। करदाता की वर्ष 2016-2017 की आय पर आगामी कर निर्धारण वर्ष 2017-2018 में वित्त अधिनियम के द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार कर लगाया जाता है।

वित्तीय वर्ष (Financial year) - जिस वर्ष में आय अर्जित की जाती है उस वर्ष को वित्तीय वर्ष के रूप में जाना जाता है।

सकल कुल आय (Gross Total Income) - समस्त स्रोतों से आय यथा वेतन, मकान सम्पत्ति से आय, व्यवसाय अथवा पेशे के लाभ अथवा अभिलाभ, पूँजीगत लाभ, अन्य स्रोतों से आय के योग को (कर व कटौतियों से पूर्व) सकल कुल आय कहा जाता है।

कुल आय (Total Income) - करदाता की सकल कुल आय में से धारा 80C से 80U के अन्तर्गत स्वीकृत कटौती को घटाने के पश्चात् शेष राशि को कुल आय कहते हैं।

वेतन शीर्षक के अन्तर्गत वेतन भोगी करदाता के लिये आयकर गणना

वेतन (Salary) - वेतन शब्द से अभिप्राय मूल वेतन, ग्रेड वेतन, महंगाई वेतन, अग्रिम वेतन, बकाया वेतन, नवीन पेंशन योजना में सरकार का अंशदान, अवकाश वेतन, बोनस, फीस, कमीशन, विशेष वेतन, नोटिस वेतन, पेंशन व निवाह भत्ते से है।

कर योग्य भत्ते (Taxable Allowances) - महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता*, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, प्रतिनियुक्ति भत्ता, अन्तर्रिम राहत, परियोजना भत्ता, ग्रामीण भत्ता, नॉन प्रेक्टिसिंग भत्ता, पर्वतीय भत्ता, दोहरा प्रबन्धन भत्ता, नौकर भत्ता, सत्कार भत्ता, अधिसमय कार्य भत्ता या मानदेय, स्थायी चिकित्सा भत्ता, जलपान भत्ता, वार्डन के रूप में भत्ता, मनोरंजन भत्ता।

*कुछ परिस्थिति में कर मुक्त भी है।

नोट - उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को दिया जाने वाला सत्कार भत्ता कर योग्य नहीं है।

कर मुक्त भत्ते (Tax Free Allowances) - यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, वाहन भत्ता, अनुसंधान भत्ता, वर्दी भत्ता, सेवानिवृति पर उपार्जित अवकाश का नकदीकरण, एल.टी.सी. पुरस्कार, सहायक रखने हेतु भत्ता, बाल शैक्षणिक भत्ता (प्रत्येक बच्चे के लिये कर मुक्त राशि 100 रु. प्रतिमाह है तथा अधिकतम रूप से यह भत्ता दो बच्चों के लिये कर मुक्त हो सकता है।) (राजस्थान सरकार के कर्मचारियों को एल.टी.सी. भत्ता देय नहीं है।)

उपादान (Gratuity) - सरकारी कर्मचारी के मामले में ग्रेच्यूटी धारा 10(10)(i) में पूर्णतः कर मुक्त है तथा पेंशन का सारांशित मूल्य (Cumulated Value of Pension) धारा 10(10A)(i) में पूर्णतः कर मुक्त है।

स्वेच्छिक सेवानिवृति योजना (V.R.S.) - इस योजना के तहत स्वेच्छिक सेवानिवृति ग्रहण करने/सेवा समाप्ति पर प्राप्त राशि/प्राप्त करने योग्य राशि/किस्तों में प्राप्त राशि/किस्तों में प्राप्त योग्य राशि धारा 10(10C) के अनुसार अधिकतम 5 लाख रु. तक की आय पर आयकर राहत प्राप्त कर सकता है लेकिन 10 (10C) में लाभ प्राप्त करने के पश्चात् धारा 89 के तहत आयकर राहत नहीं मिलेगी।

वाहन भत्ता (Conveyance Allowance) - कार्यालय के कर्तव्य पालन के लिये स्वीकृत वाहन भत्ता कर मुक्त है।

(धारा 10(14))

मकान किराया भत्ता (House Rent Allowance) - यदि कर्मचारी स्वयं के मकान में रहता है अथवा वह जिस मकान में रह रहा है उसके लिये कोई भी राशि किराये के रूप में नहीं दी जा रही है तो कर्मचारी को मिलने वाला मकान किराया भत्ता पूर्णतः कर योग्य होगा।

[See 10(13A)]

नोट : 3000 रु. तक मकान किराया भत्ता प्राप्त करने वाले कर्मचारी मकान किराया भुगतान रसीद प्रस्तुत करने से मुक्त रहेंगे।

यदि कर्मचारी किराये के मकान में रहता है तो उसे निम्न में से जो भी कम हो के बराबर मकान किराया भत्ते में छूट दी जायेगी:

- (i) वास्तविक मकान किराये भत्ते की प्राप्त राशि
- (ii) वेतन के 10% से अधिक किराये के रूप में व्यय की गई राशि अर्थात् चुकाया गया किराया - वेतन का 10%
- (iii) वेतन का 50% यदि कर्मचारी चैन्सई, मुम्बई, कोलकाता, दिल्ली में है तथा अन्य स्थानों पर - वेतन का 40%

मकान किराया भत्ते के प्रयोजन के लिये वेतन से आशय = मूल वेतन + ग्रेड वेतन + महंगाई भत्ता से है।

धारा 24 के अन्तर्गत मकान ऋण ब्याज पर कटौती:

स्वयं के रहने के मकान के सम्बन्ध में मकान बनाने, मरम्मत कराने, क्रय करने हेतु लिये गये ऋण के ब्याज के सम्बन्ध में निम्न प्रकार छूट देय होगी :-

- (i) 1.4.99 से पूर्व प्राप्त ऋण पर ब्याज के सम्बन्ध में 30,000 रु.
- (ii) 1.4.99 को या उसके पश्चात् प्राप्त किये गये ऋण के ब्याज की अधिकतम कटौती -
- (a) यदि ऋण मकान बनाने या खरीदने के लिये लिया है तो - 2,00,000 रु.
- (b) यदि ऋण मरम्मत पुनर्निर्माण के लिये लिया है 30,000 रु.

यदि स्वयं के निवास हेतु कोई मकान सम्पत्ति का निर्माण अथवा खरीद 1.4.99 अर्थात् इस तिथि के पश्चात् उधार ली गई पूँजी से करवाया गया है तो उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में ब्याज की 2.00 लाख रु. की छूट इसी दशा में स्वीकृत होगी कि उक्त मकान सम्पत्ति पूँजी उधार लेने वाले वर्ष के अन्त से अगले तीन वित्तीय वर्षों में निर्मित हो गई हो अथवा खरीद ली गई हो।

कर निर्धारण वर्ष 2017-18 से 3 वर्ष की उक्त सीमा 5 वर्ष की होगी।

(धारा 24b)

साथ ही उक्त छूट प्राप्त करने के लिये ऋणदाता से इस आशय का प्रमाण पत्र भी लेना होगा कि उक्त ऋण मकान, सम्पत्ति के निर्माण अथवा खरीद अथवा इसी उद्देश्य के लिये पूर्व में लिए गये ऋण के पुनर्भुगतान हेतु दिया गया है।

हाउसिंग लोन पर निर्मित मकान से पूर्व का ब्याज -
मकान का निर्माण पूरा होने के बाद निर्माण होने तक के ब्याज की छूट 5 वर्षीय किस्तों में निर्माण पूर्ण होने वाले वर्ष से प्रारम्भ होकर 5 वर्षों तक प्राप्त होगी। इसके साथ वर्षीय ब्याज की छूट भी साथ ही प्राप्त होगी। कुल ब्याज की छूट 2.00 लाख रु. से अधिक प्राप्त नहीं होगी (केवल self occupied के विषय में लागू)।

नवीन पेशन योजना - 2 जनवरी 2004 से लागू इस योजना में नव नियुक्त केन्द्र/राज्य कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली सभी तरह की आय धारा 10 (44) के अन्तर्गत आयकर से मुक्त होगी।
सकल कुल आय में से कटौतियां (Deduction from Gross Total Income (Sec 80C) -

यह छूट केवल व्यक्ति या अविभाजित हिन्दू परिवार को सकल कुल आय (Gross Total Income) में से निम्न मान्य विनियोग (Qualifying Investment) पर कर निर्धारण वर्ष 2017-18 से 1.50 लाख रु. की सीमा तक मिलेगी।

1. Life Insurance premium (including payment made by Government employees to the Central Government Employees' insurance scheme and payment made by a person under children's deferred endowment assurance policy). In the case of an individual policy should be taken on his own life, life of the spouse or any child (child may be dependent/independent, male/female, minor/major or married/unmarried). In the case of a Hindu undivided family, policy may be taken on the life of any member of the family. Insurance premium cannot exceed the maximum ceiling given below :

	Policy on the life of a person with disability or severe disability or on the life of a person suffering from disease or ailment as given on section 80DDB	Policy on the life any other person
- if policy is issued before April 1, 2012	20% of sum assured	20% of sum assured
- if policy is issued during 2012-13	10% of sum assured	10% of sum assured
- if policy is issued on or before April 1, 2013	15% of sum assured	10% of sum assured

2. Payment in respect of non-commutable deferred

annuity.

3. Any sum deducted from salary payable to a Government employee for the purpose of securing him a deferred annuity (subject to a maximum of 20% of salary)
4. Contribution (not being repayment of loan) towards statutory provident fund and recognised provident fund
5. Contribution (not being repayment of loan) towards 15 year public provident fund
6. Contribution towards an approved superannuation fund
7. Subscription to National Savings Certificates (VIII Issue and IX Issue)
8. Contribution for participating in the unit-linked insurance plan (ULIP) of Unit Trust of India
9. Contribution for participating in the unit-linked insurance plan (ULIP) of LIC Mutual Fund (i.e., formerly known as Dhanraksha plan of LIC Mutual Fund)
10. Payment for notified annuity plan of LIC (i.e., Jeevan Dhara and Jeevan Akshay) or any other insurer (i.e., Immediate Annuity Plan of ICICI Prudential Life Insurance Company, Tata AIG Easy Retire Annuity Plan of Tata AIG Life Insurance Company)
11. Subscription towards notified units of Mutual Fund or UTI
12. Contribution to notified pension fund set up by Mutual Fund or UTI (i.e., Retirement Benefit Unit Scheme of UTI, Kothari Pioneer Pension Plan of Kothari Mutual Fund and Reliance Retirement Fund)
13. Any sum paid (including accrued interest) as subscription to Home Loan Account Scheme of the National Housing Bank or contribution to any notified deposit scheme/pension fund set up by the National Housing Bank†
14. Any sum paid as subscription to any scheme of -
 - a. public sector company engaged in providing long-term finance for purchase/contribution of residential houses in India (i.e., public deposit scheme of HUDCO);
 - b. housing board constituted in India for the purpose of planning, development or improvement of cities/towns.
15. Any sum paid as tuition fees (not including any payment towards development fees/donation/payment of similar nature) whether at the time of admission or otherwise to any university/college/education institution in India for full time

- education of any two children of an individual
16. Any instalment or part payment towards the cost of purchase/contribution of a residential property to a housing board or co-operative society (or repayment of housing loan taken from Government bank, cooperative bank, LIC, National Housing Bank, assessee's employer where such employer is public company/public sector company/university/cooperative society)
 17. Amount invested in approved debentures of, and equity shares in, a public company engaged in infrastructure including power sector or units of a mutual fund proceeds of which are utilised for the developing, maintaining, etc, of a new infrastructure facility
 18. Amount deposited in a fixed deposit for 5 years or more with a scheduled bank in accordance with a scheme framed and notified by the Central Government (applicable from the assessment year 2007-08) (it shall be a minimum of Rs. 100 or multiple thereof)
 19. Subscription to any notified bonds of National Bank for Agriculture and Rural Development (i.e., the NABARD Rural Development Banks of NABARD) (applicable from the assessment year 2008-09).
 20. Amount deposited under Senior Citizens Saving Scheme (applicable from the assessment year 2008-09)
 21. Amount deposited in Five Year Time Deposit Scheme in post office (applicable from the assessment year 2008-09)

राष्ट्रीय बचत पत्र पर उपार्जित ब्याज की दर तालिका
राशि 100 रु. के राष्ट्रीय बचत पत्र पर प्राप्त होने वाला ब्याज

When NSC was purchased

The year for which interest accrues	On or after March 1, 2003 but before December 1, 2011	On or after December 1, 2011 but before April 1, 2012	During 2012-13	During 2013-14 to 2015-16	During April 1, 2016 and June 30, 2016
1st Year	8.16	8.58	8.78	8.68	8.26
2nd Year	8.83	9.31	9.56	9.43	8.95
3rd Year	9.55	10.11	10.40	10.25	9.69
4th Year	10.33	10.98	11.31	11.14	10.49
5th Year	11.17	11.92	12.30	12.11	11.35
6th Year	12.08	NA	NA	NA	NA

सकल कुल आय में से अन्य कटौतिया (धारा 80CCC से 80U)

(i) कुछ पेंशन निधियों में किये गये अंशदान की कटौतियाँ- भारतीय जीवन बीमा निगम व अन्य जीवन बीमा कम्पनियों की वार्षिक योजना (Anuity Plan) में किया गया अंशदान की राशि कर निर्धारण वर्ष 2016-17 से अधिकतम 1.50 लाख की कटौती स्वीकार्य होगी। यह कटौती व्यक्ति (Individual) को ही दी गई है तथा इस राशि के सम्बन्ध में धारा 88 के अन्तर्गत कोई कर राहत प्राप्त नहीं होगी।

(धारा 80CCC)

नवीन पेंशन योजना में किये गये 10% अंशदान के लिये कटौती - 1 जनवरी 2004 को या इसके पश्चात् केन्द्र/राज्य सरकार की सेवा में भर्ती होने वाले कर्मचारियों द्वारा योजना में दिये गये अंशदान पर निम्न प्रकार कटौती स्वीकार होगी -

कर निर्धारण वर्ष 2015-16 से कर्मचारी द्वारा नवीन अंशदायी पेंशन योजना में किये गये 10% अंशदान की राशि पर अधिकतम 1.50 लाख रु. तक कटौती स्वीकार्य होगी।

धारा 80CCD(1)

कर निर्धारण वर्ष 2016-17 से किसी व्यक्ति करदाता द्वारा नवीन अंशदायी पेंशन योजना में 50,000 रु. की सीमा तक अतिरिक्त अंशदान राशि पर कटौती स्वीकार्य होगी। यह राशि 80 CCE की 1.50 लाख रुपये की कटौती की अधिकतम सीमा के अतिरिक्त होगी।

धारा 80CCD(1B)

केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा नवीन अंशदायी पेंशन योजना में किये गये 10% अंशदान की राशि पर कटौती स्वीकार्य होगी।

धारा 80CCD(2)

परन्तु केन्द्र/राज्य सरकार के नवीन अंशदायी पेंशन योजना में किये गये 10% अंशदान को पहले सकल वेतन में शामिल किया जायेगा। यह कटौती केवल व्यक्ति (Individual) को ही दी गई है।

नवीन पेंशन योजना में किये जाने वाले 10% अंशदान की गणना मूल वेतन + ग्रेड वेतन + महंगाई भत्ता को जोड़कर की जायेगी।

(धारा 80CCD)

इस योजना में कर निर्धारण वर्ष 2017-18 से यह प्रावधान किया गया है कि यदि कर्मचारी अपना पेंशन खाता बन्द कर देता है या इस स्कीम से बाहर आना चाहता है तो कर्मचारी को उस समय देय कुल राशि के 40% तक की राशि कर योग्य नहीं होगी। कर्मचारी (assessee) की मृत्यु होने पर नामित व्यक्ति को मिलने वाली सम्पूर्ण राशि कर मुक्त होगी।

(धारा 10(12(A), 80CCD)

धारा 80CCC एवं 80CCD (1) में भुगतान या जमा राशि पर धारा 80C के तहत कटौती मान्य नहीं होगी।

परन्तु धारा 80C, 80CCC एवं 80CCD(I) इन तीनों धाराओं में कर निर्धारण वर्ष 2015-16 से अधिकतम 1.50 लाख रु. तक की कटौती हो सकेगी। कर निर्धारण वर्ष 2012-13 से

केन्द्र/ राज्य सरकार द्वारा धारा 80CCD (2) के तहत नवीन अंशदायी पेशन योजना में किये गये 10% अंशदान की राशि धारा 80C, 80CCC & 80CCD (1) इन तीनों धाराओं में अधिकतम 1.50 लाख की कटौती की अधिकतम सीमा के अलावा होगी। (धारा 80CCE)

	From the assessment year 2016-17	
	Maximum deduction under relevant section	Cumulative maximum deduction [Sec. 80CCE]
Section 80C	Rs. 1,50,000	Rs. 1,50,000
Section 80CCC	Rs. 1,50,000	
Section 80CCD(1) (i.e. employee's contribution of assessee's contribution towards NPS)	10% of "salary" [for a self-employed person : 10% of GTI]	
Section 80CCD(B) (i.e. contribution to NPS by any individual)	Rs. 50,000	Not applicable
Section 80CCD(2) (i.e. employer's contribution towards NPS)	10% of salary	Not applicable

(ii) **चिकित्सा बीमा प्रीमियम के लिये कटौती** - व्यक्ति करदाता स्वयं अथवा अपने पति-पत्नी के स्वास्थ्य अथवा अपने बच्चों के स्वास्थ्य के लिये बीमा प्रीमियम का भुगतान बीमा नियामक विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किसी भी योजना अथवा केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना, या केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य किसी स्वास्थ्य योजना में अंशदान किया गया हो। इस योजना को मेडिक्लेम बीमा योजना पालिसी के नाम से जाना जाता है। वैक द्वारा भुगतान किया गया बीमा प्रीमियम अथवा 25000 रु. की राशि जो भी कम हो कटौती योग्य होगी।

व्यक्ति करदाता यदि अपने माता-पिता (आश्रित हो या नहीं हो) का स्वास्थ्य बीमा कराता है तो भुगतान की गई प्रीमियम राशि या 25000 रु. जो भी कम हो, की अतिरिक्त छूट कटौति योग्य होगी।

यदि माता-पिता वरिष्ठ नागरिक हैं (चूनतम् 60 वर्ष या अधिक आयु) तो उनके सम्बन्ध में चिकित्सा बीमा प्रीमियम की अदायगी पर अधिकतम 30000 रु. ($25000+5000$) की छूट कटौति योग्य होगी।

व्यक्ति करदाता स्वयं अथवा अपने पति-पत्नी, बच्चों माता-पिता का रोगों को रोकने का स्वास्थ्य परीक्षण कराता है तो 5000 रु. तक की छूट देय होगी। यह छूट 25000 की सीमा (वरिष्ठ नागरिक हेतु 30000 रु.) तक ही देय होगी। (धारा 80D)

(iv) **विकलांग आश्रितों के चिकित्सा उपचार के**

सम्बन्ध में कटौती - (अ) करदाता ने विकलांग आश्रित (स्वयं, पत्नी, बच्चे, भाई, बहिन, माता-पिता) जो 40% से अधिक की अयोग्यता से ग्रस्त है, की (स्थायी शारीरिक एवं मानसिक विकलांगता जिसमें अंधापन, Autism, Cerebral Palsy, Multiple disability भी सम्मिलित है) चिकित्सा (परिचर्या सहित) प्रशिक्षण तथा पुनः स्थापना के लिये व्यय किया है।

(ब) करदाता ने बीमा नियामक विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किसी योजना के तहत विकलांग आश्रितों की देखभाल के लिये निवेश किया हो, इस धारा के तहत अधिकतम 75,000 रु. कटौती दी जायेगी।

यदि ऐसा विकलांग आश्रित व्यक्ति 80% से अधिक गम्भीर अयोग्यता से ग्रस्त है तो करदाता को 1.25 लाख रु. तक की छूट दी जा सकेगी। (धारा 80DD)

(v) **चिकित्सा उपचार के सम्बन्ध में कटौती** - स्वयं तथा आश्रित रिश्तेदार (पति-पत्नी, माता-पिता, बच्चे, भाई-बहिन) के लिये "नियम 11DD" में विनिर्दिष्ट बीमारी (कैंसर, एड्स, हीमोफिलिया, थेलसेमिया (Thalassaemia), न्यूरोलाजिकल डिजीज आदि) के उपचार में किया गया व्यय पर 40,000 रु. या वास्तविक व्यय जो भी कम हो की कटौती प्रदान की जायेगी। वरिष्ठ नागरिक (60 वर्ष की आयु) के उपचार पर व्यय की गई राशि के सम्बन्ध में छूट 60,000 रु. या वास्तविक व्यय जो भी कम हो, होगी तथा सुपर वरिष्ठ नागरिक (80 वर्ष या अधिक) के उपचार पर व्यय की गई राशि के सम्बन्ध में 80000 रु. या वास्तविक व्यय जो भी कम हो होगी। (धारा 80 DDB)

नोट :- बीमा कम्पनी से एवं करदाता के नियोक्ता से इलाज हेतु प्राप्त राशि को उपरोक्त कटौती में से कम कर दिया जायेगा।

(vi) **उच्च शिक्षा हेतु लिये गये ऋण के ब्याज पर कटौती** (Interest on loan taken for higher education) - कर निर्धारण वर्ष 2006-2007 से धारा 80E के तहत केवल ऋण के ब्याज की राशि (अधिकतम 8 वर्ष या ब्याज के भुगतान होने तक जो भी पहले हो) कटौती योग्य है। मूल ऋण की राशि पर इस धारा में कोई कटौती नहीं मिलेगी। इसके लिये निम्न शर्तों की पालना की जानी चाहिये :-

1. करदाता व्यक्ति होना चाहिए।
2. उच्च शिक्षा से तात्पर्य इंजीनियरिंग, मेडीसिन, मैनेजमेंट में स्नातक या अधिस्नातक, गणित व सांख्यिकी सहित Applied Science/Pure Science में अधिस्नातक से है।
3. कर निर्धारण वर्ष 2010-11 से उच्च शिक्षा में शिक्षा के सभी क्षेत्रों (वोकेशनल स्टडी सहित) को शामिल कर लिया गया है जो सीनियर सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद किये जाते हैं।
4. यह ऋण बैंक, वित्तीय संस्था या अधिकृत संस्था जिसको सरकार ने अधिसूचित किया है, से लिया गया हो।
5. यह ऋण करदाता द्वारा अपने स्वयं अथवा अपने रिश्तेदार (बच्चे/पति-पत्नी) तथा बच्चों के कानूनी संरक्षक द्वारा उच्च शिक्षा के लिए लिया गया हो।

6. गत वर्ष के दौरान करदाता ऐसे ऋण पर ब्याज का भुगतान कर चुका हो।
7. ऐसे ब्याज का भुगतान कर योग्य आय में से किया गया हो। (धारा 80E)

(vii) प्रथम आवासीय मकान सम्पत्ति पर लिये गये ऋण पर ब्याज की कटौती - निवासी/अनिवासी वैयक्तिक करदाता द्वारा रु. 50 लाख तक के मूल्य का आवासीय भवन क्रय करने हेतु बैंक या आवास वित्त कम्पनी से रु. 35 लाख तक का ऋण लेने पर रु. 50000/- की अधिकतम सीमा तक उक्त ऋण पर देय ब्याज की छूट प्राप्त की जा सकती है। उक्त आवास के अतिरिक्त करदाता के पास ऋण स्वीकृति तिथि को अन्य आवासीय सम्पत्ति न हो, तथा ऋण 1.4.16 से 31.3.2017 के दौरान स्वीकृत किया गया हो।

यदि उपरोक्त शर्तें पूरी हो तो निधारिती को धारा 80EE के तहत उपरोक्त ऋण राशि पर एक वित्तीय वर्ष में देय ब्याज राशि या 50000 रु. जो भी कम हो, की सीमा तक छूट प्राप्त होगी। इस धारा के अन्तर्गत प्राप्त की गई छूट के लिए अधिकानियम की किसी अन्य धारा के अन्तर्गत दोहरी छूट नहीं ली जा सकेगी। (धारा 80EE)

(viii) कुछ निधियों, धर्मार्थ संस्थाओं आदि को दिये गये दान के लिये 100% व 50% कटौती अनुज्ञायें होगी वशर्तें कि ऐसी संस्थाएँ और ट्रस्ट धर्मार्थ उद्देश्यों के लिये स्थापित हो।

सकल कुल आय के 10% तक की दान राशि पर कटौती उपलब्ध होगी।

80G के अन्तर्गत चैरिटेबल संस्थाओं को दान पर छूट देने के लिये आहरण एवं वितरण अधिकारी सक्षम नहीं हैं। करदाता को इस दान को अपनी रिटर्न फाइल करने पर क्लेम करना होगा।

कर निधारण वर्ष 2013-14 से 10,000 से अधिक दान राशि का भुगतान चैक/ड्राफ्ट से होना चाहिये नकद नहीं।

(धारा 80G)

बचत खाते से प्राप्त ब्याज की 10000 रु. की सीमा तक छूट - व्यक्ति करदाता या संयुक्त हिन्दू परिवार को कर निधारण वर्ष 2013-14 से बैंक, कॉ-आपरेटिव बैंक व पोस्ट ऑफिस के बचत खाते से प्राप्त होने वाले ब्याज की छूट 10000/- रु. तक मिलेगी व sec. 10(15)(i) के अन्तर्गत पोस्ट ऑफिस के बचत खाते के ब्याज की छूट 3500 रु. (Single Account) व 7000 रु. (Joint Account) की मिलेगी।

(धारा 80TTA)

(ix) स्थाई रूप से शारीरिक असमर्थता की दशा में कटौती: पूर्णतः नेत्रहीन अथवा शारीरिक रूप से विकलांग अथवा मानसिक मंदता से पीड़ित Autism, Cerebral Palsy, Multiple disability निवासी व्यक्ति के मामले में सकल कुल आय में से 50,000/- रु. की अधिकतम कटौती की जायेगी। परन्तु 40% से कम अयोग्यता नहीं होनी चाहिए। (धारा 80U)

80% से अधिक की अयोग्यता होने पर 1.25 लाख रु. की अधिकतम कटौती कर निधारण वर्ष 2016-17 से देय होगी।

कुल आय से आशय - कुल आय में से धारा 80C से 80U तक (80G को छोड़कर) कटौतियों को घटाने के बाद प्राप्त राशि से है।

कुल आय (Total Income) की राशि को सम्पूर्ण (Round Off) करना - कुल आय की राशि में यदि पैसे हैं तो उन्हें छोड़ दिया जाता है। उसके बाद यदि कुल आय 10 के गुणक में नहीं है तो अन्तिम अंक 5 या ज्यादा होने पर उसे अगले 10 के गुणक में बदल कर बढ़ा दिया जाता है, अन्यथा अन्तिम अंक 5 से कम होने पर पिछले 10 के गुणक में कम कर दिया जाता है। (धारा 288A)

आयकर की दरें :-

(i) 2.50 लाख तक	शून्य
(ii) 2.50 लाख से 5.00 लाख तक	10%
(iii) 5.00 लाख से 10.00 लाख तक	20%
(iv) 10.00 लाख से अधिक	30%

वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष या अधिक आयु के व्यक्ति) के लिये 3.00 लाख तक तथा 80 वर्ष व अधिक आयु के व्यक्ति के लिये 5.00 लाख तक की आय पर कोई कर नहीं लगेगा।

नोट - जिन व्यक्तियों व संयुक्त हिन्दू परिवार करदाताओं की कुल आय (Total Income or Net Income or Taxable Income) पांच लाख तक है उन्हें कर निधारण वर्ष 2017-18 से रु. 5000 तक की अतिरिक्त छूट 87-A के अन्तर्गत प्राप्त होगी।

शिक्षा अधिभार - आयकर के योग पर 2% लागू होगा।

सैकण्डरी और उच्च शिक्षा के लिये अधिभार - आयकर पर 1% लागू होगा।

शुद्ध आय (Net Income) से आशय वेतन आय में से मकान सम्पत्ति से आय के अन्तर्गत मकान ऋण ब्याज की कटौती के पश्चात् तथा धारा 80C, 80CCC से 80U तक की कटौतियां घटाने के पश्चात् प्राप्त आय से है।

आयकर से राहत (Relief for Income Tax Sec.89) यदि किसी गत वर्ष में करदाता को (अ) बकाया या पेशगी वेतन प्राप्त होने के कारण या (ब) 12 माह से अधिक का वेतन प्राप्त होने के कारण अथवा (स) वेतन के स्थान पर कोई लाभ प्राप्त होने के कारण उस पर ऊँची दरों से आयकर लगता है तो आयकर अधिकारी करदाता के निवेदन पर निधारित छूट प्रदान कर सकते हैं। स्वैच्छिक सेवानिवृति योजना के तहत प्राप्त योग्य राशि पर इस धारा के अधीन आयकर से राहत प्राप्त की जा सकती है।

बकाया वेतन/अग्रिम पर कर राहत की गणना-

- (1) जिस वर्ष में बकाया या अग्रिम वेतन प्राप्त हुआ है उस वर्ष में इसे सम्मिलित कर कुल आय के योग पर सर्वप्रथम गणना करें।
- (2) बकाया/अग्रिम वेतन (अतिरिक्त वेतन) को घटाकर तथा वर्ष की कुल आय पर कर की गणना करें।

- (3) उपरोक्त (1) में से (2) को घटायें, यह बकाया/अग्रिम (अतिरिक्त वेतन) पर कर की राशि होगी।
- (4) ऐसे प्रत्येक गत वर्षों में अतिरिक्त वेतन को जोड़ते हुए कुल आय पर कर की गणना करें।
- (5) बिना अतिरिक्त वेतन को जोड़े हुए पिछले प्रत्येक वर्षों की कुल आय पर कर की गणना करें।
- (6) उपरोक्त (4) में से (5) को घटाइये, यह अन्तर अतिरिक्त वेतन पर कर का योग होगा।
- (7) उपरोक्त (3) और (6) का अन्तर धारा 89(1) के अन्तर्गत कर राहत है -

धारा 21ए(2)

स्रोत पर आयकर कर की कटौती (Tax Deduction at Source)

वेतन शीर्षक के अन्तर्गत किसी भी कर योग्य आय का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी किसी व्यक्ति के लिये देय राशि पर टी.डी.एस. देना आवश्यक है।

- डाकघर आवर्ती/समय निषेप, डाकघर मासिक आय खाता, किसान विकास पत्र, इन्द्रिय विकास पत्र, राष्ट्रीय बचत पत्र viiiवां निर्गम योजना से प्राप्त व्याज पर टी.डी.एस. नहीं काटा जावेगा। परन्तु 8% (6 वर्षीय) बचत बॉण्ड से प्राप्त व्याज पर टी.डी.एस. काटा जायेगा।

ठेकेदारों को भुगतान में से टी.डी.एस. की कटौती (T.D.S. from Payment to Contractors) -

राजकीय विभाग/अर्द्ध सरकारी संस्थाएं/निगम/प्राधिकरण/सोसायटी/ विश्वविद्यालय किसी ठेके के अन्तर्गत कोई काम करने के लिए (कोई काम करने के लिए मजदूर को भेजने सहित) ठेकेदार को कुछ राशि देने के लिए जिम्मेदार होगा तो वह नकद में अथवा चैक अथवा ड्राफ्ट या किसी अन्य तरीके से किये जाने वाले भुगतान के समय ही कर की कटौती करेंगे। यह कटौती स्रोत पर व्यक्तिगत अथवा हिन्दू अविभक्त परिवार के प्रकरण में 1% तथा अन्य में 2% होगी।

1 जुलाई, 2010 से 30,000 रु. तक के संविदा के प्रतिफल पर टी.डी.एस. की कटौती नहीं की जायेगी। (धारा 194 (C))

परन्तु 1 जुलाई, 2010 से लागू संशोधन के अनुसार किसी ठेकेदार को यदि 30,000 रु. से अधिक का कोई भी भुगतान (या जमा प्रविष्टि) या एक वित्तीय वर्ष में कुल मिलाकर 75,000 रु. (31.5.16 तक) उसके पश्चात् 1 लाख रु. से अधिक का भुगतान (या जमा प्रविष्टि) किया जाता है तो आयकर की कटौती की जायेगी।

प्रतिभूति व्याज के अलावा अन्य व्याज पर टी.डी.एस. कटौती - यदि किसी व्यक्ति की अनुमानित सकल आय पर कोई कर से राशि नहीं बनती है तो वह इस प्रकार की घोषणा फार्म नं. 15जी तथा वरिष्ठ नागरिक एच में भर कर भुगतानकर्ता को दे सकता है ताकि उसको किये जाने वाले भुगतान पर कर की कटौती नहीं हो।

स्रोत पर कर कटौती की दर 10% की दर से की जावेगी।

यदि गत वर्ष में व्याज की राशि 10,000 रु. तथा बैंक के अतिरिक्त व्याज की राशि 5000 रु. से अधिक नहीं है तो स्रोत पर कोई कटौती नहीं होगी। (धारा 194 ए)

बैंक में अवधि जमा (Fixed Deposit) पर व्याज के सम्बन्ध में टी.डी.एस. की कटौती -

1 जून 2007 से बैंक में अवधि जमा पर व्याज 10000 रु. से अधिक होने पर 10% की दर से बैंक उद्गम स्थान पर कर की कटौती करेंगे। आवृत्त जमा के व्याज पर भी टी.डी.एस. कटौती की जायेगी। (धारा 194 ए)

बीमा कमीशन के भुगतान पर टी.डी.सी. कटौती- किसी व्यक्ति द्वारा बीमा व्यवसाय लाने के सम्बन्ध में किसी निवासी व्यक्ति को दिये गये पारितोषिक चाहे वह कमीशन के रूप में हो पर उपरोक्त पारिश्रमिक या कमीशन की राशि के 31.5.16 तक 20000 रु. तथा उसके पश्चात् 15000 रु. से अधिक होने पर स्रोत पर कटौती आवश्यक है। स्रोत पर कटौती व्यक्तिगत पर 5% तथा अन्य में 10% की दर से की जायेगी। (धारा 194 D)

दलाली अथवा कमीशन के भुगतान में से उद्गम स्थान पर कर की कटौती - यदि दलाली अथवा कमीशन के रूप में दी जाने वाली राशि 31.5.16 तक 5000/- उसके पश्चात् 15000 से अधिक हो तो स्रोत पर आय का 1.6.16 से 5% की दर से उद्गम स्थान पर कर की कटौती की जायेगी। (धारा 194 एच)

किराये के भुगतान में से टी.डी.एस. कटौती - एक वित्तीय वर्ष में प्राप्त किये गये किराये की राशि 1 जुलाई 2010 से 1,80,000 से अधिक है जहाँ आदाता कोई Individual या हिन्दू अविभक्त परिवार है तो प्लांट एवं मशीनरी या उपकरण के किराये पर 2% तथा भूमि भवन, फर्नीचर और फिटिंग पर 10% आयकर की कटौती की जावेगी। (धारा 194 आई)

स्थावर सम्पत्ति के क्रय के समय स्रोत पर कर की कटौती - 1 जून 2013 से स्थावर सम्पत्ति का क्रेता प्रतिफल के भुगतान (नकद, चैक, ड्राफ्ट, पुस्तकीय हस्तान्तरण) के समय प्रतिफल राशि का 1% स्रोत पर कर की कटौती करने के लिए उत्तरदायी होगा। प्राप्तकर्ता यदि भुगतान करने वाले (क्रेता) को PAN नम्बर उपलब्ध नहीं कराने की दशा में स्रोत पर 20% कर की कटौती की जायेगी। यह प्रावधान 50 लाख से कम राशि की स्थावर सम्पत्ति के हस्तान्तरण एवं ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि के हस्तान्तरण पर लागू नहीं होगा। इस हेतु TAN के प्रावधान भी लागू नहीं होंगे। (धारा 194 IA)

पेशा सम्बन्धी तकनीकी सेवाओं की फीस पर टी.डी.एस. की कटौती -

- पेशेवर/तकनीकी सेवाओं (डाक्टर, इन्जीनियर, लेखक, वकील) की फीस 1 जुलाई 2010 से 30000 रु. से अधिक नहीं है, तो टी.डी.एस. कटौती नहीं की जायेगी।

30000 रु. से अधिक फीस की आय होने पर 10% आयकर की कटौति की जावेगी। (धारा 194 जे)

परन्तु 1 जुलाई, 2012 से कम्पनी के डायरेक्टर को देय मानदेय जो कि वेतन प्रकृति का नहीं है तो उस मानदेय पर 10% की दर से टीडीएस की कटौती की जावेगी उस पर 30000 रु. की सीमा लागू नहीं होगी।

ग्रोत पर आयकर कटौती की विवरणी इलेक्ट्रोनिक माध्यम से त्रैमासिक भेजी जावेगी -

ग्रोत पर आयकर कटौती (TDS Returns) की त्रैमासिक विवरणी (Quarterly Returns) इलेक्ट्रोनिक माध्यम से अधिसूचना सं. S.O.928(E) दिनांक 30.6.2005 की अनुपालना में निम्नांकित तिथियों को प्रेषित की जायेगी।

फार्म सं.	विवरण	निर्धारित दिनांक
24 Q	संकेत शीर्षक से ग्रोत पर आयकर कटौती की त्रैमासिक विवरणी	24Q & 26Q
26 Q	संकेत शीर्षक के अतिरिक्त ग्रोत पर आयकर कटौती की त्रैमासिक विवरणी	
	अप्रैल 16 से जून 16 तक	15 जुलाई, 16
	जुलाई 16 से सितम्बर 16 तक	15 अक्टूबर, 16
	अक्टूबर 16 से दिसम्बर 16 तक	15 जन, 17
	जनवरी 17 से मार्च 17 तक	15 मई, 17

उपरोक्त निर्धारित तिथि तक त्रैमासिक विवरणी दाखिल नहीं करने पर 200 रु. प्रतिदिन के हिसाब से फीस देनी पड़ेगी। (धारा 234E) तथा 10000 रु. प्रतिदिन के हिसाब से जो कि अधिकतम Tax की सीमा तक होगी, पेनल्टी भी धारा 271H के तहत देनी होगी जिसका निर्धारण 1 अक्टूबर 2014 से कर निर्धारण अधिकारी करने हेतु सक्षम होगा।

फार्म सं. 24 Q एवं 26 Q के समर्थन के लिये फार्म सं. 27 A (Physical Control Chart) निर्धारित प्रपत्र में उपरोक्त वर्णित तिथि तक इलेक्ट्रोनिक आयकर विवरणी के साथ संलग्न कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

e-TDS की त्रैमासिक विवरणी निर्धारित प्रपत्र(Prescribed Data Structure) में तैयार कर सीडी रोम में स्टोर कर नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लि. (NSDL) द्वारा निर्धारित केन्द्र पर जमा की जावेगी।

ग्रोत पर कर की कटौती नहीं करने के परिणाम -

जो कोई व्यक्ति ग्रोत पर ही कर की कटौती करने के लिये जिम्मेदार है कर की कटौती नहीं करता है अथवा कटौती करने के पश्चात् कर भुगतान करने में असफल रहता है तो निम्नानुसार साधारण ब्याज देना होगा - [धारा 201 (1A)]

- ग्रोत पर कर की कटौती करने की दिनांक 1% प्रतिमाह से वास्तविक कटौती करने की दिनांक तक की दर से
- ग्रोत पर कर की वास्तविक कटौती करने की 1.5% प्रतिमाह दिनांक से वास्तव में भुगतान की दिनांक तक की दर से कटौती किये गये कर के लिये प्रमाण पत्र - कर के

ग्रोत पर कटौती करने वाला प्रत्येक व्यक्ति उस व्यक्ति को जिसके खाते में ऐसी राशि जमा अथवा भुगतान की गई है, इस आशय का प्रमाण पत्र देगा कि कर की कटौती कर ली गई है। प्रमाण-पत्र में कर की कटौती की दर व विवरणों का उल्लेख होना चाहिये।

(धारा 203)

जिस व्यक्ति की टी.डी.एस. कटौती की जा रही है उसके पास (PAN) स्थाई खाता संख्या होना 1 अप्रैल 2010 से अनिवार्य होगा अन्यथा उससे टी.डी.एस. की कटौती एक घंटे में निर्धारित अधिकतम कर की दर से की जावेगी या 20% जो भी अधिक हो, की दर से की जावेगी। [धारा 206 (AA)]

कर का अग्रिम भुगतान (Advance Payment of Tax)- प्रत्येक व्यक्ति को अग्रिम कर का भुगतान करना उस स्थिति में अनिवार्य है, यदि देय अग्रिम कर की राशि 10000 रु. अथवा उससे अधिक हो। आय की सभी मर्दों पर अग्रिम कर का भुगतान अनिवार्य है। (धारा 208)

अग्रिम कर की गणना - चालू आय के आधार पर की जा सकती है यदि अग्रिम भुगतान करने की अन्तिम तिथि को बैंक में अवकाश है तो करदाता अगले कार्यदिवस को भुगतान कर सकता है। (1 जून 2016 से प्रभावी)

किश्त की देय तिथि	देय अग्रिम कर राशि (प्रतिशत में)
-------------------	----------------------------------

15 जून तक या पहले	15 प्रतिशत तक
15 सितम्बर तक या पहले	45 प्रतिशत तक
15 दिसम्बर तक या पहले	75 प्रतिशत तक
15 मार्च तक या पहले	100 प्रतिशत तक

(धारा 211)

अग्रिम कर का भुगतान नहीं करने के परिणाम-प्रतिमाह 1% की दर से साधारण ब्याज लिया जायेगा।

(धारा 234 बी)

आय विवरणी को वैधानिक दायित्व के रूप में दाखिल करना कब आवश्यक है- एक व्यक्तिगत करदाता/हिन्दू अविभाजित परिवार/AOP/BOI/ कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति के लिए आयकर विवरणी प्रस्तुत करना आवश्यक है यदि उसकी कुल आय धारा 10(38), 10A, 10B, 10BA एवं धारा 80C से 80U का प्रभाव डाले बिना अधिकतम कर मुक्त आय से अधिक है।

एक व्यक्तिगत करदाता (महिला करदाता सहित) के लिये 2.50 लाख रु., वरिष्ठ नागरिक करदाता के लिए 3.00 लाख रु. तथा 80 वर्ष या अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक के लिये 5.00 लाख रु. तक की कुल आय (Total Income) कर मुक्त आय है। (धारा 139)

करदाता आयकर की विवरणी (Income Tax Return) कम्प्यूटर रीडेबल मीडिया के किसी भी माध्यम के द्वारा निर्धारित तिथि से पूर्व बिना विभाग में उपस्थित हुए दाखिल कर सकता है। (धारा 139(1B))

धारा 139 (D) - यदि करदाता इलेक्ट्रोनिक फार्म में रिटर्न दाखिल करता है तो कर निर्धारित अधिकारी द्वारा दस्तावेज विवरण पत्र आदि सूचना मांगने पर प्रस्तुत करेगा।

स्थायी खाता संख्या (PAN) - प्रत्येक व्यक्ति जिसकी कुल आय अधिकतम कर मुक्त सीमा से अधिक हो या धारा 139 (1) के तहत उपरोक्त में से किसी एक शर्त की पूर्ति करने पर स्थायी खाता संख्या प्राप्त करना आवश्यक है। स्थायी खाता संख्या प्राप्त करने के लिए फार्म सं. 49A में आवेदन करना चाहिए। पैन संख्या सही नहीं होने पर 10000 रु. की शास्ति आरोपित की जा सकती है। (धारा 272B)

आय विवरणी (Income Tax Return) को समय के बाद दाखिल करना - यदि विवरणी (Income Tax Return) को धारा 139(1) अथवा धारा 142(1) के अन्तर्गत स्वीकृत समय के भीतर प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो वह व्यक्ति सम्बन्धित कर निर्धारण वर्ष (Assessment year) के अन्त से 1 वर्ष की समाप्ति से पूर्व या कर निर्धारण किये जाने से पूर्व, जो भी पहले हो, विवरणी प्रस्तुत कर सकता है। यदि आयकर विवरणी देरी से दाखिल करता है तो हानियों को अत्रेषित नहीं कर सकता है। (धारा 139(4))

यदि करदाता आय विवरणी को निश्चित समय के बाद दाखिल करता है तो इसे दंड के रूप में धारा 234A के अन्तर्गत 1% प्रतिमाह (अथवा माह का कुछ अंश) पर साधारण ब्याज (निर्धारित कर योग्य आय पर देय कर की राशि पर ब्याज) की गणना की जायेगी।

संशोधित आय विवरणी (Revised Income Tax Return)
दाखिल करना - कुछ शर्त पूरी करके एक करदाता अपनी संशोधित आय विवरणी सम्बन्धित कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति से 1 वर्ष अथवा कर निर्धारण समाप्ति तक (जो भी पहले हो) दाखिल कर सकता है। (धारा 139(5))

स्व कर निर्धारण (Self Assessment) - जहाँ दाखिल की गई किसी विवरणी (Return) के आधार पर कोई कर देय हो तो कर के अग्रिम भुगतान या टी.डी.एस. की कटौती के बाद करदाता द्वारा आय विवरणी दाखिल करने से पूर्व आयकर व ब्याज का भुगतान करना आवश्यक है। (धारा 140A)

समय पर आय विवरणी दाखिल नहीं करने पर दण्ड-

कर्मचारी द्वारा सम्बन्धित कर निर्धारण वर्ष के अन्त तक आय विवरणी दाखिल नहीं करने पर न्यूनतम व अधिकतम दण्ड-धारा 271F के तहत 5000 रु. तक का अधिकतम जुर्माना किया जा सकता है तथा यथोचित कारण होने पर कोई शास्ति नहीं दी जायेगी।

अधिक भुगतान किये गये कर की वापसी (Refund of Excess Tax) - करदाता कर निर्धारण अधिकारी को सन्तुष्टि करता है कि किसी कर निर्धारण वर्ष के लिये उसके द्वारा दिये कर की राशि अधिनियम के अन्तर्गत देय कर राशि से अधिक भुगतान की गई है तो उसे अधिक भुगतान की गई कर राशि

को वापस प्राप्त करने का अधिकार होगा। (धारा 237)

वापसी के लिये दावा फार्म सं. 30 में प्रस्तुत किया जाना चाहिए तथा उसका सत्यापन निर्धारित तरीके से किया जाना चाहिये।

करदाता को देय ब्याज की गणना - कर निर्धारण वर्ष की 1 अप्रैल से वापसी स्वीकृत करने की तिथि तक की अवधि के लिये 0.5% प्रतिमाह की दर से ब्याज की गणना की जायेगी। परन्तु यदि देय वापसी की राशि निर्धारित कर की राशि के 10% से कम हो तो कोई ब्याज देय नहीं होगा। (धारा 244A)

Situation 1 - Gross income of X (61 years), a resident individual, for the assessment year 2017-18 is Rs. 1,07,00,000.

Salary : Rs. 10,00,000, lottery winnings : Rs. 81,00,000 and long term capital gain : Rs. 16,00,000), X is entitled for deduction of Rs. 1,50,000 under section 80C and Rs. 50,000 under section 80CCD(1B).

	Rs.
Salary income	10,00,000
Long term capital gain	16,00,000
Lotter winnings	<u>81,00,000</u>
Gross total Income	1,07,00,000
Less: Deduction under section 80C & 80CCD(1B)	2,00,000
Net Income	1,05,00,000
Tax computation under normal provisions	
Tax on lotter winning of	
Rs. 81,00,000 @ 30%	24,30,000
Tax on long term capital gain of	
Rs. 16,00,000 @ 20%	3,20,000
Tax on remaining income of Rs. 8,00,000 (first Rs. 3,00,000; Nil, net Rs. 2,00,000 @ 10%; Rs. 20,000 and the balance of Rs. 3,00,000 @ Rs. 20% : Rs. 60,000)	80,000
Tax	28,30,000
Add : Surcharge @ 15%	4,24,500
Total	32,54,500
Tax computation under marginal relief	
Step 1: Tax payable if income is Rs. 1 crore (it may be assumed that salary is Rs. 800000, Lottery winning is Rs. 7600000 and long term capital gain is Rs. 1600000)	
Tax on Rs. 76,00,000 @ 30%	22,80,000
Tax on Rs. 16,00,000 @ 20%	3,20,000
Tax on Rs. 8,00,000	<u>80,000</u>
Total	26,80,000

Step 2: To the tax determined on Rs. 1 crore under Step 1, add tax @ 100% in respect of income exceeding Rs. 1 crore (i.e. 100% of Rs. 5,00,000) 5,00,000

The aggregate tax is Rs. 31,80,000 which is lower than the regular tax of Rs. 3254500 Therefore, tax liability will be calculated in this case as follows - 31,80,000

Tax as computed above	<u>31,80,000</u>
Add : Education Cess @ 3%	<u>95,400</u>
Tax liability	<u>32,75,400</u>

एक राज्य कर्मचारी के वित्तीय वर्ष 2016-17 में वेतन भत्ते एवं कटौतियों का विवरण निम्न प्रकार है -

	(रुपये)	(रुपये)
मूल वेतन (ग्रेड वेतन सहित)	678120	मकान किराया भत्ता 135624
महांगाई भत्ता	847650	भवन निर्माण अग्रिम
नगर क्षतिपूर्ति भत्ता	5760	पर ब्याज 225000
मकान किराया भुगतान प्रतिमाह (जयपुर में)	15000	
जमा एवं विनियोजन		
जीवन बीमा प्रीमियम	15000	जी.पी.एफ. 120000
राज्य बीमा	36000	लोक भविष्य निधि 10000
दृश्यन फीस (एक बच्चे पर)	50000	भवन निर्माण अग्रिम का 40000
		पुनर्भुगतान
मेडिक्लेम पॉलिसी प्रीमियम 80D	20000	दुर्घटना बीमा 220

Computation of Total Income

Assessment Year 2017-2018

Basic Pay (Pay & Grade Pay)	678120
Dearness Allowance 125%	847650
HRA (135624-27423)*	108201
CCA	5760
Gross Salary	1639731

आहरण वितरण अधिकारी एवं वेतन भोगी कर वाताओं के लिये सम्बन्धित फार्म व निधारित तिथियां

क्र. विवरण	फार्म सं.	निधारित दिनांक
1. आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कर्मचारी को कटौती किये गये कर के लिये प्रमाण पत्र जारी करना (TDS Certificate)	16	31 मई
2. स्थाई खाता संख्या (PAN) आवंटन करवाने हेतु	49-A	31 मई से पूर्व
3. आहरण एवं वितरण अधिकारी/नियोक्ता द्वारा वेतन से कटौती किये गये कर (TDS) की त्रैमासिक विवरणी भरना	24 Q	त्रैमासिक
4. आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा ठेकेदार को किये जाने वाले भुगतान की गई कर की कटौती का त्रैमासिक विवरणी भरना	26 Q	त्रैमासिक
5. वेतन भोगी करदाता		

ITIR-1 and ITR-2 31 जुलाई

नोट : निधारित इलेक्ट्रॉनिक फार्म के द्वारा भी आयकर विवरणी निधारित तिथि तक प्रस्तुत की जा सकती है।

Rates for Tax Deduction at Source During the Financial Year 2016-2017 (When Recipient in Resident)

Nature of Payment	TDS (SC : Nil, EC : Nil, SHEC : Nil)
Sec. 192 - Payment of salary (normal tax rates are applicable - see para 0.1-1b, SC - 15% (if net income exceeds Rs. 1 crore), EC - 2% & SHEC - 1%).	
Sec. 192A - Payment of taxable accumulated balance of provident fund	10
Sec. 193 - Interest on securities to a resident -	
a. interest on (a) debentures/securities for money issued by or on behalf of any local authority/statutory corporation, (b) listed debentures of a company (not being listed securities in demat form), (c) any security of the Central or State Government (i.e. 8% Savings (taxable) Bonds, 2003, but not any other Government security).	10
b. any other interest on securities (including interest on non-listed debentures)	10
Sec. 194 - Divided	
a. deemed dividend under section 2(22) (e)	10
b. any other dividend	Nil
Sec. 194A - Interest other than interest on securities	10
Sec. 194B - Winnings from lottery or crossword puzzle or card game or other game of any sort	30
Sec. 194BB - Winnings from horse races	30
Sec. 194C - Payment or credit to a resident contractor/sub-contractor -	
a. payment/credit to an individual or a Hindu undivided family	1
b. payment/credit to any person other than an individual or a Hindu undivided family	2
Sec. 194D - Insurance commission	
- if recipient is a resident (other than a company)	5
- if recipient is a domestic company	10
Sec. 194 DA - Payment in respect of Life insurance policy -	
- up to May 31, 2016	2
- from June 1, 2016	1
Sec. 194EE - Payment in respect of deposits under National Savings Scheme, 1987	
- up to May 31, 2016	20
- from June 1, 2016	10
Sec. 194F - Payment on account of repurchase of units of MF or UTI	20
Sec. 194G - Commission on sale of lottery tickets -	
- up to May 31, 2016	10
- from June 1, 2016	5
Sec. 194H - Commission or brokerage -	
- up to May 31, 2016	10
- from June 1, 2016	5
Sec. 194-I - Rent -	
a. rent of plant and machinery	2
b. rent of land or building or furniture or fitting.	10
Sec. 194-IA - Payment/credit of consideration to a resident transferor for transfer of any immovable property (other than rural agricultural land)	
Sec. 194J - Professional fees, technical fees, royalty or remuneration to a director	1
Sec. 194LA - Payment of compensation on acquisition of certain immovable property	10
Sec. 194LBA(1) - Payment of the nature referred to in section 10(23FC) [for with effect from June 1, 2016] section 10(23FC)(a)/(23FCA) by business trust to resident unit holders	10
Sec. 194LBB - Payment in respect of units of investment fund specified in section 115 UB	10
Sec. 194 LBC(1) - Payment in respect of an investment in a securitisation trust specified in clause (d) of the Explanation occurring after section 115TCA (with effect from June 1, 2016) -	10
- if recipient is an individual or a Hindu undivided family	25
- if recipient is any other person	30

Table of Income Tax Rates

In case of Individual (Other than senior citizen)		In case of Senior Citizen	
Income Slab (Rs.)	Tax Rate	Income Slab (Rs.)	Tax Rate
0-2,50,000	Nil	3,00,000	Nil
2,50,000 - 5,00,000	10 %	3,00,000 - 5,00,000	10 %
5,00,000 - 10,00,000	20 %	5,00,000 - 10,00,000	20 %
Above 10,00,000	30 %	Above 10,00,000	30 %

INCOME TAX CALCULATION FOR THE FINANCIAL YEAR 2016-2017 ASSESSMENT YEAR 2017-2018

1. Name :	Designation	PAN		
2. Income : Gross Salary for the year : 2016-2017		Rs.		
3. House Rent Allowance U/S 10(13-A) Other Exempted Allowance U/S 10(14)		Rs.		
4. Balance (2 - 3)		Rs.		
5. Entertainment allowance under section 16 (ii) (subject to maximum of Rs. 5000)		Rs.		
6. Balance (4 - 5)		Rs.		
7. (a) Income From House-Property : (i) Self Occupied Nil, (ii) Rent Received		Rs.		
(b)	30 % of rent Less Rs.	Interest on Housing Loan Rs.	House Tax Rs.	Total Rs.

Balance -/+ [7(a) & total of 7(b)]

Rs.

- * Self Occupied-only interest on house loan up to maximum Rs. 30,000/- is admissible if house constructed or purchased before 1.4.99
- * Interest on house loan in case of fully constructed house on or after 01.04.1999 deductible from income up to maximum Rs. 2,00,000/-

8.	TOTAL BALANCE -/+ (6&7)	Rs.
9. Any other Income		Rs.
10. Gross Income	Balance (8+9)	Rs.

11. Less : Deduction under Section 80 C, 80 CCC, 80 CCD(1)

(A) Maximum limit 1,50,000/- (Under section 80CCE) Excluding 80CCD(2) 80CCD(1B)			
(a) S.Ins.	Rs.	(j) Interest accrued on NSC	Rs.
(b) Life Insurance Premium	Rs.	(k) Tuition Fees (Max. for 2 child)	Rs.
(c) N.S.C.	Rs.	(l) Fixed Deposit in Bank for 5 years & above	Rs.
(d) PPF	Rs.	(m) Notified Bond of Nabard	Rs.
(e) Notified Units of Mutual Funds or UTI	Rs.	(n) Pension Plan premium (under section 80 CCC)	Rs.
(f) G.P.F.	Rs.	(o) Employee's contribution towards NPs u/s 80CCD(1) 10% of salary	Rs.
(g) Gr. Ins.	Rs.		
(h) ULIP	Rs.		
(i) Re-Payment HBA	Rs.	Total (a) to (o)	Rs.

(B) Less Deduction U/s (80CCE) (80CCD(2) Govt. Contribution in NPS (Max. 10% of salary) Rs.

(C) Less Deduction u/s 80CCD(1B) Contribution in NPS by any individual upto Rs. 50000

12. Other Deduction :

I. U/s 80D Payment to medical insurance premium for himself, spouse and dependant Children maximum Rs. 25000/- Additional For Parents 25000/-, In case Senior Citizen Rs. 30,000/-	Rs.
2. U/s 80 DD medical treatment etc. of dependent handicapped person maximum Rs. 75,000/- (Rs. 12500/- in some cases as per disability Act 1995)	Rs.
3. U/s 80 DDB special deduction of Rs. 40,000 to the guardian of a patient suffering from cancer or Aids involving considerable expenditure on treatment or if expense incurred on dependent patient aged over 60 year's suffering from diseases specified by act then deduction will be Rs. 60,000/-	Rs.
4. U/s 80 G Donation to charitable institution 50% and 100% (as per Deduction 80 G) of Actual Payment subject to maximum 10% of Gross Total Income	Rs.
5. U/s 80 U Physically handicapped person or blind person maximum Rs. 50,000/- (Rs. 100000/- in some cases as per disability Act 1995)	Rs.
6. U/s 80 TTA interest from Saving Bank A/c upto Rs. 10000	Rs.

Total 12 (1 to 6)

13. Total Deduction (11 + 12)	Rs.
14. Total Taxable Income (10 - 13)	Rs.

15. Total Taxable Income Rounded Off (to ten)	Rs.
16. (a) Income Tax on above income as per column No. 15 (Refer Table Below) Less : Rebate U/s 87A (Rs. 5000 if total amount upto rs. 500000)	Rs.

(b) Education Cess 2% on Tax	Rs.
(c) Secondary and higher education Cess 1%	Rs.

17. Less : Deduct Rebate U/s 89	Rs.
18. Total Tax	Rs.

19. Income Tax Deducted	Up to September 2016	Up to December 2016	Up to February 2017	T.D.S. Total	TOTAL
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.

Income Tax Payable/Refundable Balance -/+ (18 & 19)

Rs.